भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5757

30.03.2026 को उत्तर के लिए

एनसीएपी 2026 के अंतर्गत निधि का उपयोग

5757. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:
श्री शंकर लालवानी:
श्री पी. पी. चौधरी:
श्री प्रदीप पुरोहित:
श्री दिलेश्वर कामैत:
श्रीमती कमलेश जांगड़े:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्रीमती अपराजिता सारंगी:
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्री बिभु प्रसाद तराई:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:
डॉ. मन्ना लाल रावत:
श्री मनोज तिवारी:
श्री सतीश कुमार गौतम:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री बिद्युत बरन महतो:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 2026 के अंत तक पीएम10 में 40 प्रतिशत की कमी किए जाने के संशोधित लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में सही मार्ग पर अग्रसर है और यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं और इसे कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) निगरानी तंत्र की संख्या बढ़ाकर 1600 स्टेशनों तक करने से वायु गुणवत्ता आंकड़ों की सटीकता में किस प्रकार सुधार हुआ है;

(ग) लक्ष्य को प्राप्त न करने वाले शेष 40 शहरों के लिए स्रोतों के समानुपातीकरण संबंधी अध्ययन किए जाने में हुई विशिष्ट प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) और 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत जारी किए गए 13,415 करोड़ रुपये का सफलतापूर्वक उपयोग किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सिंधु-गंगा मैदान में क्षेत्रीय प्रदूषण संकुलों का समाधान करने के लिए एयरशेड अप्रोच को सफलतापूर्वक लागू किया गया है और यदि हां, तो अब तक प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ड़): देश में वायु प्रदूषण का समाधान करने के लिए, भारत सरकार ने सभी हितधारकों को शामिल करके 24 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 130 शहरों (मानकों का पालन न करने वाले शहरों और मिलियन प्लस शहरों) में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए एक दीर्घकालिक, समयबद्ध, राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया है।

एनसीएपी के तहत 130 शहरों द्वारा तैयार की गई शहर विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं वायु प्रदूषण स्रोतों जैसे मिट्टी और सड़क धूल, वाहनों का उत्सर्जन, निर्माण और विध्वंस गतिविधियां, कचरा जलाना और औद्योगिक प्रदूषण आदि को कम करने के लिए लागू की जाती हैं।

15वें वित्त आयोग के मिलियन प्लस सिटी चैलेंज फंड (एमपीसीसीएफ) और एमओईएफ एंड सीसी की प्रदूषण नियंत्रण योजना के तहत 130 शहरों को प्रदान की गई 13,415 करोड़ रुपये की राशि में से (नवंबर, 2025 तक जारी), शहरों ने 10,611.52 करोड़ रुपये के उपयोग की सूचना दी है।

एनसीएपी के तहत 130 शहरों द्वारा संकेंद्रित कार्यों ने सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं, जिसमें 103 शहरों ने 2017-18 की तुलना में 2024-25 में पीएम10 सांद्रता में कमी दिखाई है, 64 शहरों ने आधार वर्ष 2017-18 की तुलना में पीएम10 स्तरों में 20% से अधिक की कमी दिखाई है और इनमें से 25 शहरों ने 40% से अधिक की कमी हासिल की है। कुल 22 शहरों ने एनएएक्यूएस का पालन किया है और उनमें पीएम10 सांद्रता 60 माइक्रोग्राम / मीटर 3 से कम है।

सीपीसीबी ने परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, अर्थात् "परिवेश वायु प्रदूषकों के आकलन के लिए दिशानिर्देश (खंड-1: मैनुअल सैंपलिंग और विश्लेषण के लिए दिशानिर्देश, और खंड-2: रियल टाईम सैंपलिंग और विश्लेषण के लिए दिशानिर्देश)"। इसके अलावा, सीपीसीबी ने "कंटीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम (रियल टाइम) की स्थापना, रखरखाव, कैलिब्रेशन, डेटा कनेक्टिविटी और डेटा गुणवत्ता जांच के लिए तकनीकी हैंडबुक" भी जारी की है।

हैंड बुक में तीसरे पक्ष द्वारा सीएएक्यूएम की वार्षिक लेखा परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान है, जिसके पास आईएसओ 17025 की मान्यता होनी चाहिए और विश्लेषकों के संचालन, उनके रखरखाव और अंशांकन, डेटा गुणवत्ता, ऑपरेटर कौशल आदि के संबंध में सिस्टम के उचित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सीएएक्यूएम प्रणाली के ओ एंड एम में विशेषज्ञता होनी चाहिए।

संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / प्रदूषण नियंत्रण समितियां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी मानदंडों के अनुसार परिवेशी वायु गुणवत्ता एकत्र करने के लिए निगरानी स्टेशन स्थापित करती हैं और इन्हें संबंधित एजेंसियों द्वारा उपरोक्त ढांचे के अनुसार चलाया, संचालित और अनुरक्षित किया जाता है।

परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों में अत्याधुनिक संदर्भ-ग्रेड सिस्टम लगे हैं, जो निरंतर और लगभग रियल टाईम डेटा प्रदान करते हैं। ये निगरानी प्रणालियाँ सटीक, पता लगाने योग्य और

विश्वसनीय डेटा प्रदान करती हैं, जो राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) के तहत अनुपालन मूल्यांकन के लिए आवश्यक है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने "भारतीय शहरों के लिए वायु गुणवत्ता निगरानी, उत्सर्जन सूची (ईआई) और स्रोत (एसए) अध्ययन के लिए अवधारणात्मक दिशानिर्देश और सामान्य कार्यप्रणाली" जारी की। विभाजन एसपीसीबी/ पीसीसी, वायु प्रदूषण में योगदान करने वाले विभिन्न कारकों की पहचान करने और शहर कार्य योजनाओं के तहत वायु गुणवत्ता सुधार उपायों को प्राथमिकता देने के लिए, एनसीएपी के तहत संबंधित शहरों के लिए सीपीसीबी दिशानिर्देशों के अनुरूप विभिन्न शैक्षणिक / अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से स्रोत विभाजन अध्ययन करते हैं। एनसीएपी के 90 शहरों में स्रोत विभाजन (एसए) अध्ययन किए गए हैं और शेष 40 शहरों ने अध्ययन शुरू कर दिए हैं और विभिन्न चरणों में हैं।

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने और नियंत्रित करने के लिए, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों की विभिन्न एजेंसियों की समन्वित कार्रवाइयों के माध्यम से वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिए एक एयर-शेड-आधारित दृष्टिकोण अपनाया है। तदनुसार, दिल्ली एनसीआर के तहत सभी राज्यों ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की रोकथाम और शमन के लिए सीएक्यूएम के समन्वय में अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार की है।
